उत्तराखण्ड में
पंचायतीराज संस्था

ग्राम पंचायतों के गठन, चुनाव, आयोजना तथा बजट

अवंथा फाउण्डेशन
पुणे

© अवंथा फाउण्डेशन २०१६

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा प्रतिलिपि या पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या किसी भी रुप में या किसी भी तरह, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य द्वारा प्रेषित, अवंथा फाउण्डेशन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

शोध अध्ययन एवं लेखनः बजेट एनालीसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर ट्रस्ट
रेखाचित्रः सुजित्त टी. के.
सहयोगः पेट्रोलियम एवं उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय

डिस्क्लैमरः

यह प्रकाशन शैक्षणिक उद्देश्य हेतु संबंधित कानूनों के प्रमुख प्रावधानों का केवल सरलीकृत रुप है। यह कानूनी प्रावधानों की वास्तविक प्रस्तुती या व्याख्या नहीं है। हालांकि सूचनाओं की वास्तविकता एवं यथार्थता को बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी यदि विषय सामग्री में किसी प्रकार की असंगति पायी जाती है तो अवंता फाउंडेशन या पेट्रोलियम एवं उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस) इसके लिये जिम्मेदार नहीं है। आवश्यकता होने पर कृपया वर्तमान कानूनों का हवाला दें।

तालिका

1. **परिचय**

   पुस्तिका के उपयोग के बारे में सामान्य परिचय

2. **पंचायती राज संस्थान : एक संवैधानिक निकाय**

   73वां संविधान संशोधन

3. **पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले 29 विषय**

   74वां संविधान संशोधन

4. **उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थान**

   उत्तराखंड के पंचायती राज में कानून एवं नियमों का प्रावधान

   उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016

5. **पंचायती राज संस्थान का गठन**

   पंचायत क्षेत्र का सीमाकंन

   प्रधान का चुनाव

   पंचायती राज संस्थान के लिए राज्य

   प्रधान, उपप्रधान के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

   पंचायती राज संस्थान के पदाधिकारियों (प्रधान/सरपंच, ग्राम सचिव आदि) के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां

6. **क्षेत्र पंचायत**

7. **जिला पंचायत**

8. **पंचायतों में समितियां**

9. **राज्य में 3 एफ (फण्ड फंक्शन फंक्शनरी) के हस्तांतरण की स्थिती**

10. **ग्राम सभा का गठन, बैठकें तथा कार्य**

11. **उत्तराखंड में पंचायती राज योजना एवं बजट**

योजना बनाने की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत द्वारा योजना बनाना

क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना बनाना

जिला पंचायत द्वारा योजना बनाना

जिला आयोजना समिति

12. **ग्राम पंचायतों द्वारा कियान्वित योजनाएं एवं कार्यक्रम**

13. **पंचायत बजट : अर्थ एवं महत्व**

पंचायत बजट का महत्व

पंचायतों के आय के स्रोत

टाईड फण्ड एवं अनटाईड फण्ड

पंचायत बजट निर्माण के आधारभूत नियम

पंचायत बजट : संरचना एवं प्रक्रिया

सरकार द्वारा बजट के लिये निर्धारित शीर्ष

14. **पंचायत : लेखा संधारण, मूल्यांकन तथा लेखा परिक्षण**

परिचय

पुस्तिका के उपयोग के बारे में सामान्य परिचय

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि पंचायत के चुने हुये प्रतिनिधि तथा कर्मचारी पंचायती राज व्यवस्था के सभी पहलुओं से भली भांति परिचित हों। ऐसे में आवश्यक है कि जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण के साथ साथ पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं पर सरल भाषा में सामग्री उपलब्ध हो। इस पुस्तिका में 73वें संविधान संसोधन के द्वारा पंचायतों के लिए संवैधानिक प्रावधान, पंचायती राज कानून एवं नियमों का प्रावधान व पंचायत आयोजना एवं बजट प्रक्रिया को संक्षिप्त एवं सरल भाषा में रखा गया है।

हमें आशा है कि यह पुस्तिका पंचायत जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थानों के साथ कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी तथा संस्थाओं एवं प्रशिक्षकों तथा पंचायती राज के सशक्तीकरण में योगदान करेगी।

पंचायती राज संस्थान – एक संवैधानिक निकाय

73वां संविधान संशोधन

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय एवं शासन को स्थापित एवं विकसित करने के लिए संसद ने वर्ष 1992 में 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन पारित किया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अध्याय नौ (9) को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 में देश में पंचायती राज व्यवस्था तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रावधान रखे गए हैं। सविंधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत को परिभाषित किया गया है, तथा इसे ग्रामीण अंचलों में स्व–शासन की संस्था माना गया है।

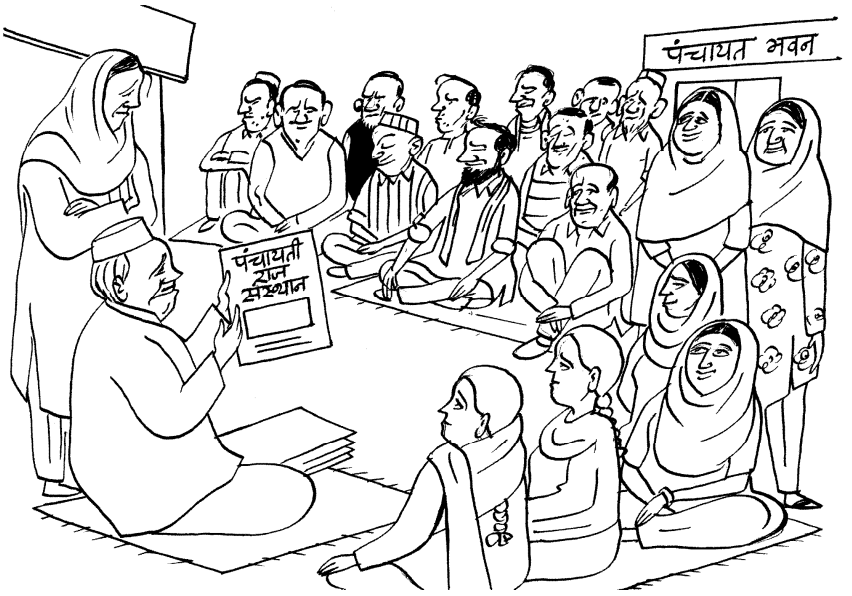

इस संविधान संशोधन से 3 प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं का जन्म हुआ – राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं जिला योजना समितियां। संविधान के अनुच्छेद 243 में दिये गये पंचायत से संबंधित प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से निम्न सारणी में दिखाया गया है।

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 243	परिभाषाएं
अनुच्छेद 243 क	ग्रामसभा
अनुच्छेद 243 ख	ग्राम पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 243 ग	पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद 243 घ	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 ङ	पंचायतों की अवधि
अनुच्छेद 243 च	सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
अनुच्छेद 243 छ	पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243 ज	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद 243 झ	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 243 ञ	पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद 243 ट	पंचायतों के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243 ठ	संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद 243 ड	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद 243 ढ	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
अनुच्छेद 243 ण	निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन

73वें संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला तथा केन्द्र व राज्य सरकार के बाद तीसरे स्तर पर गांवों में पंचायतों की सरकार बन गयी है। 73वें संशोधन के मुख्य बिन्दु निन्न हैं।

- ग्राम सभा जो कि विकेन्द्रित स्वशासन की आधारभूत इकाई है, को गांवों की लोक सभा के रूप में संवैधानिक दर्जे का प्रावधान है।
- जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनमें दो स्तरीय पंचायत, अर्थात् जिला स्तर और गाँव स्तर पर, का गठन किया जाएगा और 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य, अर्थात् गाँव, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर, की स्थापना की जाएगी।
- अध्यक्ष एवं सदस्य पदों हेतु पंचायती राज में महिलाओं को न्यूनतम एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के साथ प्रत्यक्ष तथा नियमित चुनाव व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है।

- पंचायती राज व्यवस्था में नियमित 5 वर्ष बाद विधिवत् चुनाव संपन्न करवाना आवश्यक है।
- पंचायती राज संस्थानों को दिए गये दायित्वों के अनुरूप उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक राज्य में हर 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा।
- प्रत्येक जिले जिला आयोजना समिति का गठन करने का प्रावधान है।
- राज्य सरकार संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों (विभागों) के अधिकार एवं शक्तियां पंचायतों को हस्तांतरित करेगी।
- हस्तांतरित विषयों (विभागों) पर कार्य योजना बनाने एवं क्रियान्वयन का अधिकार पंचायतों को दिया गया है।

पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले 29 विषय

संविधान में निन्न 29 विषयों की सूची दी गयी है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

1. कृषि – जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।
2. भूमि सुधार और मृदा संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और सिंचित क्षेत्र विकास।
4. पशु पालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग।
7. लघु वन उत्पाद।
8. लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवास।
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, नौघाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है।
15. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रिया–कलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय)।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. समाज कल्याण (विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित सहित)।

27. कमजोर वर्गों का (विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का) कल्याण।
28. लोक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण।

74वां संविधान संशोधन

इसके साथ ही संविधान में 74वां संशोधन भी किया गया जिसमें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय इकाई से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इस संशोधन के बाद संविधान में अध्याय 9अ जोड़ा गया जिसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों से संबधित प्रावधान (अनुच्छेद 243) किये गये हैं। साथ ही इसमें राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राज्य वित्त आयोग की स्थापना (धारा 243Y) तथा राज्य में प्रत्येक जिले में विकास के लिये आयोजना करने हेतु जिला योजना समिति के गठन (धारा 2434 ZD) का प्रावधान भी किया गया है। जिला योजना समिति के गठन तथा कार्यो का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है।

उत्तराखण्ड में पंचायती राज संस्थान

उत्तराखण्ड में पंचायती राज के कानून एवं नियमों का प्रावधान

उत्तराखण्ड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका गठन 9 नवम्बर 2000 को भारत गणराज्य के सत्ताइसवें राज्य के रूप में किया गया था। सन् 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का अधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखण्ड कर दिया गया।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों हेतु उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से सम्बन्धित मामलों के लिए उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 लागू था। उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन उक्त दोनो अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय संशोधनों के साथ लागू है। साथ ही राज्य में उ.प्र. पंचायत राज नियमावली, 1947 के अनुरूप पंचायतों का कार्यकलाप संचालित होता है।

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 पारित किया है जो 4 अप्रैल 2016 से राज्य लागू हो चूका है अतः अब पंचायती राज संस्था की सभी व्यवस्थाएं इस अधिनियम के तहत संचालित होंगी।

परन्तु राज्य सरकार ने अभी राज्य में नयी पंचायती राज नियमावली नहीं बनाई है। अतः यह पुस्तिका नये पंचायती राज अधिनियम, 2016 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत नियमावली, 1947 पर आधारित है।

पंचायती राज संस्थान का गठन

पंचायतों की संरचना

चुंकि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है इसलिए संविधान (अनुच्छेद 243) के अनुसार यहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार :

- सबसे निचले अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है
- मध्यवर्ती अर्थात खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और
- सबसे उच्च अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है

ग्राम पंचायत

उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 के भाग दो में अध्याय 2 से अध्याय 8 तक ग्राम पंचायतों के गठन तथा अन्य प्रावधान दिये गये हैं।

- राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान कहा गया है।
- राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण वहां की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा लेकिन पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण कुल पदों की संख्या का 14 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
- महिलाओं के लिए पंचायती राज के कुल स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
- पचांयती राज में आरक्षण चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे।
- अनारक्षित स्थान पर भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।
- ग्राम पंचायत संचालन के लिए ग्राम विकास आधिकारी (पंचायत सचिव) होता है।

राज्य में ग्राम पंचायत का ढ़ांचा

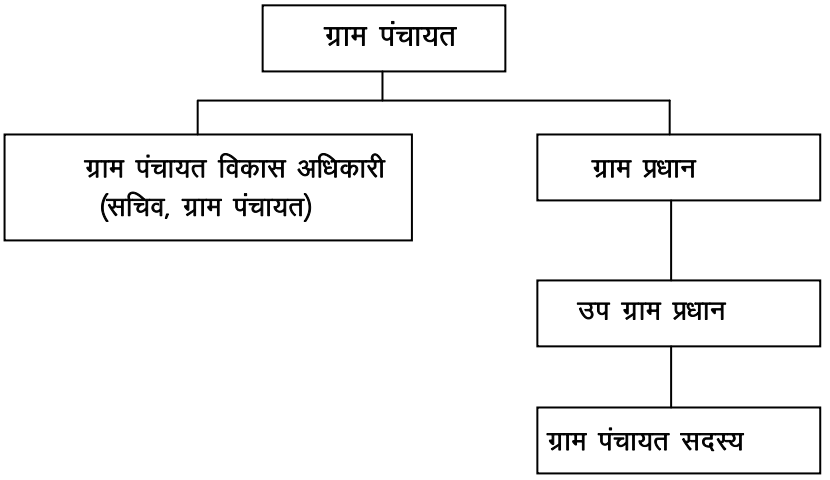

पंचायत क्षेत्र का सीमाकंन

राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम का समूह, जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैंदानी क्षेत्रों में 1000 हो, को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा तथा सदस्यों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होगी। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या अधिक होने पर सदस्यों की संख्या निम्न तालिका अनुसार होगी।

क्र.स.	जनसंख्या	सदस्य
1	1000 तक	7
2	1001 से 2000 तक	9
3	2001 से 3000 तक	11
4	3001 से 5000 तक	13
5	5001 से अधिक	15

प्रधान का चुनाव

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 13 के अनुसार

- प्रधान का निर्वाचन वहां के स्थानीय लोग जिनका स्थानीय निवार्चन सूची में नाम है, मत दे कर करते हैं। प्रधान का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का भी स्थानीय निवार्चन सूची में नाम होना आवश्यक है।
- यदि सामान्य चुनाव द्वारा प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है तथा ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से भी कम सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, तो राज्य सरकार वहां ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही प्रशासनिक समिति का गठन कर सकती है अथवा प्रशासक नियुक्त कर सकती है।
- प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक अधिकतम छः माह के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं।
- प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य नियुक्त प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक में ही निहित होते हैं।
- प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्ति के बाद यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह लगे कि ग्राम पंचायत को संगठित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक की नियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिए निर्वाचन कराने का निर्देश दे सकती है
- कोई व्यक्ति पंचायती राज संस्थान के दो पदों पर नियुक्ति नहीं ले सकता, चाहे जो भी परिस्थिती हो।

प्रधान, उपप्रधान के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जा सकते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 18 में इस के लिये निम्न प्रावधान किये गये हैं।

प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक सदस्यों, जो लिखित नोटिस (प्रस्ताव) पर हस्ताक्षर करते हैं उनमें से कम से कम पांच सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

उप प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव में ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों जो लिखित नोटिस (प्रस्ताव) पर हस्ताक्षर करते हैं उनमें से कम से कम तीन सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

प्रधान, उपप्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में जिला पंचायती राज अधिकारी सरसरी तौर पर प्रस्ताव की जांच करेगा तथा अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक विशेष बैठक बुलायेगा। इस विशेष बैठक के लिए सहायक विकास अधिकारी के बराबर अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह बैठक पंचायत भवन/सार्वजनिक स्थान पर रखी जाएगी। ऐसी बैठक के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस व अन्य प्रक्रिया 30 दिन पूर्ण करना आवश्यक है।

प्रधान विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की आधी संख्या होगी तथा ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जायेगा। गणपूर्ति के अभाव में अथवा प्रस्ताव पारित नहीं होने की दशा में सम्बंधित प्रधान के विरूद्ध एक साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

उप प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जायेगा। प्रधान, उपप्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव उनके निर्वाचन के एक वर्ष अवधि में तथा कार्यकाल समाप्ती के छः माह पुर्व नहीं लाया जा सकता।

ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां:

ग्राम पंचायत प्रधान के कर्तव्य:

- ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की सभी बैठकों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना
- बैठक में की जाने वाली कार्यवाहियों पर नियन्त्रण रखना
- ग्राम पंचायत की आय–व्यय की व्यवस्था बनाये रखना
- ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना
- पंचायत राज नियमों के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न रजिस्टरों के रखने का प्रबंध करना तथा ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की ओर पत्र व्यवहार करना
- ग्राम पंचायत सम्पति की रक्षा के लिए विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित करना और ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गए कर शुल्क, उपशुल्क लगाने व वसूलने का प्रबन्ध करना
- ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की ओर से घरेलू विवाद और फौजदारी के अभियोग प्रस्तुत करना।

प्रधान के विशेषाधिकार:

उ.प्र. पंचायतीराज नियमावली 1947 नियम 47 के अनुसार विशेष आवश्यकता पड़ने पर, निर्धारित अधिकारी को सूचना देकर बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति प्राप्त किये हुए भी प्रधान को कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार होगा जिसके करने का ग्राम पंचायत को अधिकार है।

ग्राम सचिव के कर्त्तव्य :

- ग्राम प्रधान की देख–रेख में ग्राम पंचायत के अभिलेखों का रख रखाव करना
- ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना।
- ग्राम पंचायत की आयोजना तैयार करवाना
- ग्राम पंचायत की बैठक आहुत करवाना

ग्राम पंचायत की बैठकें :

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 21 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करने के निम्न प्रावधान हैं।

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत की कार्य संचालन के लिए प्रत्येक मास में न्यूनतम एक सामान्य बैठक होगी, दो लगातार बैठकों के बीच अधिकतम दो माह से अधिक अन्तर नहीं होगा।
2. ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए स्थान, तारीख समय ऐसा होगा जैसा निश्चत किया जाये।
3. ग्राम पंचायत को किसी बैठक की कोरम को पूरा करने हेतु आवश्यक सदस्य संख्या उसके सदस्यों की कुल संख्या 1/3 होनी चाहिये।
4. ग्राम पंचायत को किसी बैठकों में प्रक्रिया आदि ऐसी हो जो जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर तय की जाए।
5. ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन और प्रश्न करने के अधिकार ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर तय किया जाए।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 19 के अनुसार अगर सरकार को ऐसा लगे कि ग्राम पंचायत या उसकी समिति ने अपना काम पूरा नहीं किया या उसमें कोई चूक की है तो सरकार लिखित आदेश द्वारा उस कार्य को पूरा करने की अवधि निश्चित कर सकती है। सरकार इसके लिये जिला मजस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी को वह कार्य करने के लिये नियुक्त भी कर सकती है।

क्षेत्र पंचायत

प्रत्येक विकास खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर एक क्षेत्र पंचायत का गठन होता है।

क्षेत्र पंचायत का ढ़ांचा

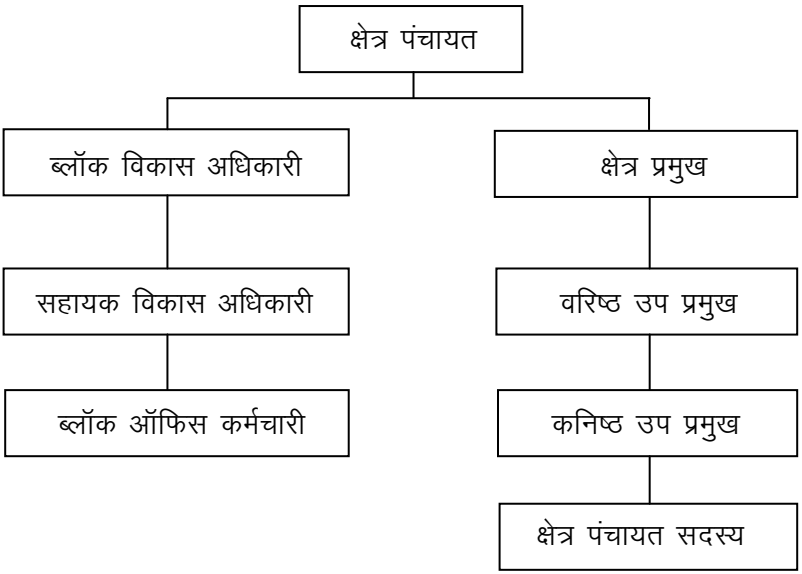

क्षेत्र पंचायत का गठन चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख, एक वरिष्ठ उपप्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो तथा जिसका वहां की निर्वाचन सूची में नाम हो पंचायती राज संस्थान के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

जिला पंचायत

प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत का एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्य होते हैं।

जिला पंचायत का ढ़ांचा

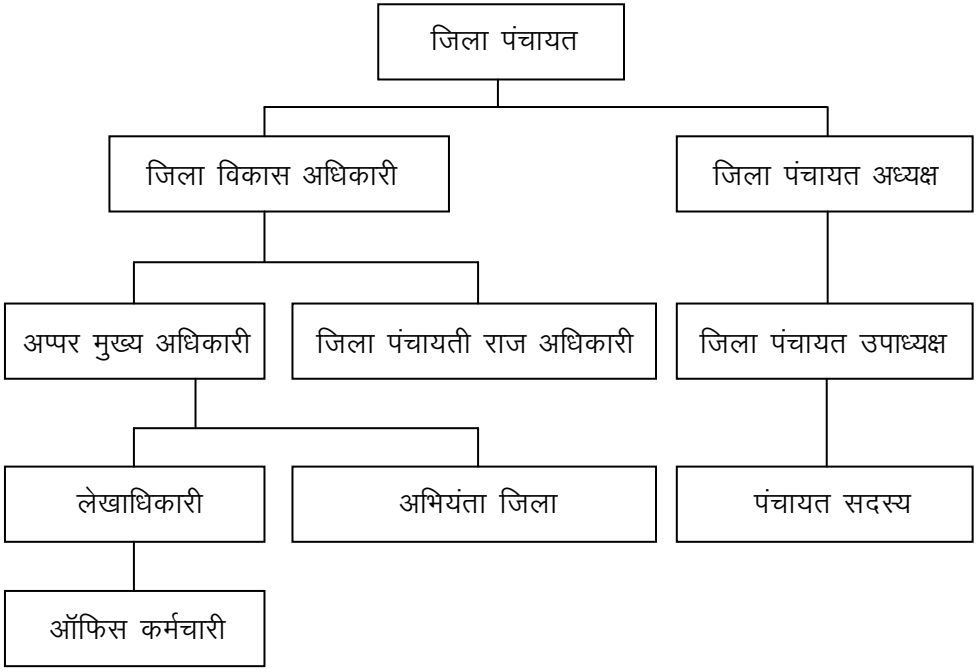

पंचायतों में समितियां

उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत तीनों स्तर पर निम्न 6 समितियां होती हैं।

नियोजन एवं विकास समिति

निर्माण कार्य समिति

शिक्षा समिति

प्रशासनिक समिति

स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति

जल प्रबन्धन समिति

इन समितियों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जायेगा। ये समितियां पंचायत के सभी या किन्ही कार्यों के संपादन में सहायता करने के लिए नियुक्त

की जाती हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के लिए निम्लिखित समितियां होगी, जिनका गठन एवं कार्य निम्न प्रकार होगा।

समिति	गठन	कार्य
नियोजन एवं विकास समिति	सभापति–प्रधान, छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अनिवार्य	सम्बन्धित पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना
निर्माण कार्य समिति	सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति)	समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना
शिक्षा समिति	सभापति, उप–प्रधान, छः अन्य सदस्य, आरक्षण उपर्युक्त की भाँति, प्रधानाध्यापक सहयोजित, अभिवाहक–सहयोजित	प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि सम्बन्धी कार्य
प्रशासनिक समिति	सभापति–प्रधान, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति)	सम्बन्धी प्रत्येक कार्य
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छः अन्य सदस्य (आरक्षण पूर्ववत)	चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण
जल प्रबन्धन समिति	सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित, छः अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति) प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमाण्ड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित	राजकीय नलकूपों का संचालन पेयजल सम्बन्धी कार्य

समितियां अपने कामों को पूरा करने के लिए एक या अधिक उप–समितियां नियुक्त कर सकती हैं।

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में महिला सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है।

राज्य में 3 एफ (फण्ड फंक्शन फंक्शनरी) के हस्तांतरण की स्थिती

जनवरी 2005 में राज्य सरकार ने निम्न 14 विषयों को पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।

1. पेयजल
2. ग्रामीण आवास
3. गरीबी उन्मूलन
4. प्राथमिक शिक्षा
5. वयस्क अनौपचारिक शिक्षा
6. पुस्तकालय
7. सांस्कृतिक गतिविधि
8. परिवार कल्याण
9. स्वास्थ्य एवं सफाई कार्यक्रम
10. महिला एवं बाल विभाग
11. समाज कल्याण
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
13. लघु सिंचाई
14. कृषि (जलग्रहण)

वर्तमान में राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति द्वारा भेजे गए कर्मचारी ही इन विभागों में काम करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को इनकी नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।

विभिन्न स्तर पर पंचायतों में नियुक्त अधिकारी

विभाग का नाम	ग्राम पंचायत	क्षेत्र पंचायत	जिला पंचायत
कृषि	कृषि अधिकारी एवं सहायक पद	एक सहायक निदेशक एवं सहायक पद	मुख्य कृषि अधिकारी एवं सहायक पद
पशुपालन	अधिकारी कर्मचारी पशु स्वास्थ उप केंद्र,	अधिकारी कर्मचारी वेटेरनरी पोली	जिला पशुपालन अधिकारी एवं

	वेटेरनरी डिस्पेंसरी / हॉस्पिटल	क्लिनिक, मोबाइल फार्म क्लिनिक, मोबाइल वेटेरनरी डिस्पेंसरी	सहायक पद
डेरी विकास विभाग	एक डेरी प्रसार अधिकारी एवं सहायक पद	खंड स्तर एक डेरी प्रसार अधिकारी एवं सहायक पद	उप निदेशक एवं सहायक पद
मछली विभाग	एक फिशरी सब इंस्पेक्टर	कोई नहीं	उप निदेशक एवं सहायक पद
उद्योग	कोई नहीं	उद्योग विस्तार अधिकारी	प्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्र के कर्मचारी
ग्रामीण विकास	दो गावं प्रसार आधिकारी	खंड विकास अधिकारी एवं सहायक पद	एक सहायक विकास आयुक्त, जिला महिला कल्याण अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी
समाज कल्याण	डे केयर सेंटर के अधिकारी एवं कर्मचारी, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता / सहायक	बाल विकास परियाजना कार्यलय के अधिकारी एवं कर्मचारी,	जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक पद
सहकारिता			एक सहायक पंजीयक एवं क्लर्क
अनुसूचित जाति विकास	बालवाडी के अधिकारी एवं कर्मचारी,	खंड स्तर अनुसूचित जाति विकास अधिकारी	जिला स्तर अनुसूचित जाति विकास अधिकारी एवं कर्मचारी
अनुसूचित जन जाति विकास	बालवाड़ी के अधिकारी एवं कर्मचारी,	खंड स्तर अनुसूचित जन जाति विकास अधिकारी	जिला स्तर ITD परियोजना अधिकारी एवं कर्मचारी
स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपेथिक)	स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र के अन्य कर्मचारी	खंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	जिला स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी

स्वास्थ्य सेवाएं (होमियोपैथी)	होमियो स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र के अन्य कर्मचारी	खंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	जिला स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी
स्वास्थ्य सेवाएं (आयुर्वेदिक)	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र के अन्य कर्मचारी	खंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य उप केंद्र, के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	जिला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी
सामान्य शिक्षा	प्रधानाध्यापक, अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के अन्य कर्मचारी		जिला स्तर सहायक कर्मचारी एवं अधिकारी
उच्च माध्यमिक			माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक
तकनिकी शिक्षा			तकनिकी शिक्षा के अध्यापक
सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिचाईं विभाग	सहायक अभियंता एवं सहायक पद	सहायक कार्यकारी अभियंता एवं सहायक पद	कार्यकारी अभियंता एवं सहायक पद
जन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र के अन्य कर्मचारी	खंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी
खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड			जिला परियोजना अधिकारी एवं कर्मचारी

उपरोक्त विवरण पंचायतों को हस्तांतरित विषय (फंक्शन) तथा कर्मचारियों (फंक्शनरीज) से संबंधित है। पंचायतों को हस्तांतरित वित्त (फण्ड) की चर्चा आगे पंचायत आयोजना तथा बजट अध्याय में की गई है।

ग्राम सभा का गठन, बैठकें तथा कार्य

ग्राम सभा

पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण संस्था ग्राम सभा होती है। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 3 में ग्राम सभा सम्बधित प्रावधान दिये गये हैं। राज्य सरकार या सरकारी राजपत्र की अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांवों के समूह के लिये ग्राम सभा स्थापित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा को एक नाम भी दिया जायेगा। जहां ग्राम सभा गांवों के समूह के लिये स्थापित की जाये, वहां ग्राम सभा नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम से रखा जाता है।

ग्राम सभा की सदस्यताः

प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वह वयस्क व्यक्ति, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, ग्राम सभा का सदस्य होता है (प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हर व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है)।

ग्राम सभा स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना:

यदि अधिनियम के उपबंधों/नियमों के अनुसार यदि किसी ग्राम सभा को स्थापित करने या संचालित करने में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो इस संबंध में सरकार को सूचित करना होगा ताकि वह इस संबंध में अंतिम निर्णय ले।

ग्राम सभा की बैठकें :

प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष त्रेमासिक आधार पर कुल चार सामान्य बैठक करने का प्रावधान है। इन बैठकों की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान को करनी होती है। परंतु कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर या विहित अधिकारी की मांग पर प्रधान 30 दिन के अंदर असाधारण बैठक कर सकता/सकती है। यह बैठक केवल सार्वजनिक/सरकारी भवन या ग्राम पंचायत के किसी खुले स्थान पर आयोजित की जायेगी।

ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिये गणपूर्ति:

ग्राम सभा द्वारा संचालित बैठक के लिये कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या में से आधे परिवारों की संख्या आवश्यक है।

ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य:

ग्राम सभा निम्न विषयों पर विचार कर अपनी सिफारिशें व सुझाव ग्राम पंचायत को दे सकती है:

- ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट एवं अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस दिये गये उत्तर, यदि कोई हो तो।
- पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के चालु विकास कार्यक्रमों और चालु वित्तीय वर्ष के दौरान लिये जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट।
- गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता एवं समन्वय को बढाना।
- गांव में प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।
- अन्य सभी जनहित विषयों, मामलों के संबंध में।

ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों एवं सुझावों पर समुचित विचार करेगी।

ग्राम सभा निम्नलिखित कार्यों (कृत्यों) को सम्पादित करेगी।

- सामुदायिक/कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना।
- गांव से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियावंयन में सहायता पहुंचाना।
- गांव से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियावंयन के लिये हितकारी की पहचान करना।

ग्राम पंचायत के आयोजना निर्माण की कहानी

गंगा देवी (काल्पनिक नाम) उत्तराखंड राज्य के जिले की एक ग्राम पंचायत की प्रधान हैं। उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की आयोजना बनाने के लिये ग्राम सभा की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। इसके लिये उन्होंने सभी सदस्यों एवं अपनी पंचायत के सचिव की सहमति से एक दिनांक निश्चित किया। गंगा देवी ने इसकी सूचना अपनी पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के साथ ही ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के लिये पंचायत के सभी गांवों में अलग–अलग जगहों पर इसकी सूचना चस्पा करवाई। ग्राम सभा की बैठक के एक दिन पूर्व गांव में इस संबंध में मूनादी भी करवाई गयी।

ग्राम सभा की तय दिनांक को सचिव, ग्राम सभा के सदस्य एवं ग्रामीण ग्राम पंचायत में एकत्रित हुये। इस बैठक में ग्राम सभा के करीब 50 प्रतिशत सदस्य ही शामिल थे एवं ग्रामीण महिलाओं की संख्या भी कम थी। परंतु बैठक के लिये कोरम खानापुर्ती पूरा करने हेतु आवश्यक संख्या में ग्राम सभा सदस्य मौजूद थे, इसलिये बैठ़क करने का निर्णय किया गया। बैठ़क प्रधान गंगादेवी की अध्यक्षता में आरंभ हुई। इसके बाद बैठ़क में ग्राम पंचायत में अलग–अलग विषयों, मुद्दों एवं समस्याओं (जैसें– सड़क एवं नाली निर्माण, पेयजल, शौचालय, हैंडपंप, तालाब एवं नहर मरम्मत, सिंचाई की व्यवस्था) के संबंध में प्रस्ताव लिये गये। इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा सर्व सम्मती बनने पर ग्राम पंचायत सचिव मदोदय ने हर प्रस्ताव की ग्राम सभा की बैठ़क रजिस्टर में दर्ज किया।

इस प्रकार विभिन्न समस्याओं पर प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत इन्हे एकत्रित कर इस ग्राम पंचायत की आयोजना तैयार की गयी। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016–17 हेतु अपनी ग्राम पंचायत योजना तैयार की। बाद में इस योजना को क्षेत्र पंचायत को भेजा गया।

उत्तराखण्ड में पंचायती राज योजना एवं बजट

पंचायती राज संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने क्षेत्र के विकास के लिये योजना बनाना है। उत्तराखण्ड़ पंचायती राज अधिनियम 2016 में तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाने का प्रवधान है।

योजना बनाने की प्रकिया

ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव एवं सुझाव लेकर योजना बनाकर क्षेत्रीय पंचायत को भेजा जाता है, जिसे क्षेत्रीय पंचायत एकीकृत करते हैं तथा उसमें अपनी योजना को जोड़ते हैं तथा इसे जिला पंचायतों को भेजते हैं। जिला पंचातयों द्वारा क्षेत्रीय पंचायतों की योजना को एकीकृत किया जाता है तथा इसमें जिला पंचायत की योजना को जोड़ा जाता है। इस प्रकार तैयार जिला पंचायत योजना को जिला योजना समिति में भेजा जाता है, जहां जिले के शहरी निकायों से प्राप्त योजनाओं को मिलाकर एक जिला विकास योजना बनाकर पारित की जाती है।

ग्राम पंचायत द्वारा योजना बनाना

उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 28 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी तथा निर्धारित प्राधिकारी को भेजेगी। इसके लिये पंचायत को ग्राम सभा बुलाकर प्रस्ताव लेना चाहिये तथा प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये प्रारूप (यदि कोई हो तो) में डालना चाहिये।

ग्राम पंचायतों को योजना बनाते समय प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को पंचायतों को देय अलग अलग निधीयों (फण्ड) या कार्यक्रम में रखा जाना चाहिये। जैसे कई कार्य मनरेगा के अंतर्गत करवाये जा सकते हैं। कुछ कार्य राज्य वित्त आयोग की राशि से करवाई जा सकते हैं। अतः पंचायतों को आयोजना एवं बजट बनाते समय स्पष्ट रूप से प्रस्तावित करना चाहिये कि कार्य इस फण्ड या कार्यक्रम के तहत करवाया जायेगा।

पंचायतों द्वारा लागू किये जाने वाले योजनाओं/कार्यक्रमों तथा उन्हें उपलब्ध आय के स्रोतों (फण्ड) की चर्चा नीचे की गई है।

इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पंचायतें नहीं करवा सकती परन्तु उन कार्यों को संबंधित विभागों में ग्राम सभा के प्रस्ताव के साथ सिफारिश के तौर पर भेजा जा सकता है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना बनाना

उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 68 के अनुसार

- प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत के खण्ड की पंचायतों की विकास योजना को सम्मिलित कर अपने–अपने खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी
- उक्त उप धारा (एक) के अनुसार योजना, क्षेत्र पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से सचिव, खण्ड विकास अधिकारी तैयार करेगा और क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगा
- क्षेत्र पंचायत इस योजना में बदलाव करके या बिना कोई बदलाव किये अनुमोदित कर योजना सचिव / खण्ड विकास अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा
- राज्य सरकार जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा योजनाओं का एकीकरण हेतु जिला आयोजना समिति का गठन करेगी

जिला पंचायत द्वारा योजना बनाना

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 105 के अनुसार

- जिला पंचायत जिले के क्षेत्र पंचायत की विकास योजना को सम्मलित करते हुए प्रत्येक वर्ष जिले पंचायत के लिए एक विकास योजना बनायी जाती है।
- विकास योजना जिला पंचायत नियोजन एवं विकास एवं प्रशासनिक समिति की सहायता से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी तैयार करता है।
- इस तैयार योजना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अपर मुख्य कार्यकारी द्वारा जिला पंचायत की वित्त एवं नियोजन समिति के समक्ष रखा जाता है।
- जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा स्वीकृत जिला योजना की जिला पंचायत के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष उसके समक्ष प्रस्तुत अन्तिम आलेख को जिला योजना समिति के समक्ष रखते हैं।

जिला योजना समिति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5स) के अंर्तगत राज्यों के लिए जिला योजना समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। जिला योजना समिति जिला पंचायत तथा जिले के शहरी निकायों (इकाईयों) द्वारा बनायी गयी योजना तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा बनाई गयी योजना को समेकित करते हुये जिला विकास योजना बनाती है तथा इसे जिला योजना समिति द्वारा पारित किया जाता है। इस कार्य में समिति को सरकारी विभागों विशेषकर योजना विभाग का सहयोग मिलता है।

जिला योजना समिति को संवैधानिक मान्यता होने से अब निचले स्तर पर योजना बनाई जा रही है। उत्तराखंड में जिला आयोजना समिति का गठन उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनिमम 2007 के अनुसार किया जाता है।

जिला आयोजना समिति का गठन

प्रत्येक जिले में जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को एकत्र करने तथा जिले की योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समिति का गठन किया गया है तथा योजना का प्रारूप तैयार करते समय अन्य संस्थाओं व संगठनों से परामर्श करके स्थानीय संसाधन, जल व पर्यावरण का ध्यान रखेगी।

जिला योजना समिति की संरचना

- ✓ समिति में सदस्यों की संख्या 15 से कम और 40 से अधिक नहीं होगी
- ✓ समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से जिले की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये जायंगे
- ✓ समिति में शेष 1/5 सदस्य निम्नलिखित होंगे
    - ➢ राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा
    - ➢ अध्यक्ष, जिला पंचायत
    - ➢ जिला मजिस्ट्रेट
    - ➢ अन्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए
- ✓ इन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा पर है
- ✓ समिति के सदस्य बैठक में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज सकते
- ✓ समिति का सदस्य तब तक ही है जब तक वह जिले की नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य है

समिति का सचिव

मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसका सचिव होगा

समिति के कार्य

- ✓ राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढ़ाचे अन्दर ही स्थानीय आवश्यकताओं और उदेश्यों की जानकारी करना
- ✓ योजना तैयार करने के लिए जिले के प्राकृतिक एवं मानव संसाधन से सम्बन्धित सूचना एकत्र व संकलित करना
- ✓ ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका मानचित्र तेयार करना
- ✓ जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना
- ✓ जिला योजना के पैसे की आवश्यकता के लिए जिले में आय स्रोतों का पता लगाना

- ✓ जिला योजना के व्यय के विभिन्न मदों के लिए पैसे का आवंटन करना
- ✓ जिले योजना में सम्मिलित की गई याजनाओं के बारे में राज्य सरकार को सूचित करना

ग्राम पंचायतों द्वारा कियान्वित योजनाएं एवं कार्यक्रम

ग्राम पंचायत कई प्रकार की योजनाएं/कार्यक्रम कियान्वित करते हैं तथा कई योजनाओं के लाभार्थीयों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा सुझाये जाते हैं। जबकि कुछ अन्य योजनाओं में पंचायतों की भूमिका केवल निगरानी की होती है। यहां तीनों प्रकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं।

पंचायत द्वारा लागू किये जाने वाली योजनाएं/ कार्यक्रम

1. राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत होने वाले कार्य।
2. चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत होने वाले कार्य।
3. महात्मा गांधी नरेगा

योजना/कार्यक्रमों जिनमें पंचायतों द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाती है।

- विभिन्न पेंशन योजनाएं
- इंदिरा आवास योजना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली

निन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में पंचायतों द्वारा निगरानी रखी जाती है

- आंगनबाड़ी
- प्राथमिक विद्यालय
- उपस्वास्थ्य केन्द्र

पंचायत बजट : अर्थ एवं महत्व

बजट क्या है

किसी पंचायत के लिए बजट अगले वित्तीय वर्ष का आय – व्यय का अनुमान होता है। पंचायत बजट किसी पंचायती राज संस्था का आय–व्यय का वार्षिक विवरण होता है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय तथा आगामी वर्ष के अनुमानित आय – व्यय का विवरण होता है।

पंचायत बजट का महत्व

- पंचायत बजट पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक महत्व का विषय है।
- पंचायतें बजट बनाते समय सामुदायिक विकास एवं लोक कल्याण की नई योजनाएं चलने का प्रावधान रख सकती हैं।
- पंचायत बजट के आधार पर पंचायतों की वार्षिक आय तथा व्यय का परस्पर आंकलन संभव हो सकता है।
- बजट में वित्तीय स्थिती या खर्च के आधार पर कार्यों की भौतिक प्रगति का अनुमान किया जा सकता है।
- बजट की निगरानी एवं मूल्यांकन से योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जा सकता है।

पंचायत योजना एवं बजट में अंर्तसंबंध

पंचायतों को योजना तथा बजट बनाने का सवैंधानिक आधिकार प्रदान किया गया है। पंचायतें सबसे पहले ग्राम सभा में प्रस्तावित कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए योजना बनाती हैं, उसके बाद सूचीबद्ध कार्यो पर योजना, प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को शामिल करते हुए पंचायत बजट बनाया जाता है।

- पंचायतों को योजना तथा बजट निर्माण का आधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया हैं।
- पंचायतों के लिए योजना एवं बजट निर्माण करना आवश्यक शर्त है।
- किसी पंचायत के लिए योजना तैयार करना पहली तथा बजट बनाना उसके बाद की अवस्था होती हैं।

- पंचायत योजना में अगले वर्षों में किए जाने वाले कार्यों तथा उनकी प्राथमिकताओं का विवरण होता हैं।
- पंचायतों अपना बजट प्रस्तावित योजना के कार्यों पर अनुमानित व्यय को शामिल करते हुए तैयार कराती हैं।
- पंचायत योजना में कार्यक्रमों योजना की प्रकृति का विवरण दिया जाता है जबकि पंचायत बजट में योजना पर कुल व्यय के साथ प्रशिक्षण, संस्थापन तथा अन्य खर्च को भी सम्मिलित किया जाता है।

पंचायतों के आय के स्रोत

प्रदेश में तीनों स्तरों की पंचायतों के आय के विभिन्न स्रोत हैं। उत्तराखंड राज्य में पंचायतों से संबंधित वित्तीय प्रावधानों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

निजी आय – वह आय जो पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र में कर लगा कर या गैर कर राजस्व के रूप में सृजित करती हैं।

कर राजस्व – ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद् को अपने क्षेत्र में विभिन्न कर लगाकर आय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है जैसे भवन कर, भूमि कर, वाहन कर, मनोरंजन कर, शराब कर आदि।

उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 46 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जा सकने वाले कर निम्न हैं।

- भू–राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 पैसे से 50 पैसे तक पंचायत कर।
- बागवानी को छोड़ कर अन्य व्यवसाय कर
- सरकारी शराब की बिक्री पर कर
- विवाह स्थल, मण्डप, रिसोर्ट, मनोरंजन आदि पर कर।
- भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति पर कर
- गाँव के मेले, बाजारों आदि पर कर।
- पशुओं तथा वाहनों आदि के क्रय–विक्रय पर कर।
- तालाब में मछलीपालन से प्राप्त आय पर कर।
- नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर।

- कूड़ा–करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय।
- भवन कर
- सम्पत्ति के क्रय–विक्रय पर कर।
- पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस।
- दुग्ध उत्पादन कर आदि।

गैर कर राजस्व – ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अपने क्षेत्र में विभिन्न गैर–कर (शुल्क) से आय प्राप्त करने का अधिकार है जैसे– चारागाह भूमि से आय, स्टाम्प शुल्क, ठेकों से आय, नीलामी से आय आदि।

राज्य सरकार से आय – पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार से मुख्य रूप से तीन मदों से राशि प्राप्त होती हैं

- आयोजना राशिः राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की वार्षिक आयोजना के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन हेतु जो राशि जारी की जाती हैं
- राज्य वित्त आयोग से राशिः राज्य सरकार द्वारा जो राशि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को उनके संस्थापन या विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु जारी की जाती है। राज्य वित्त आयोग 5 वर्षो के लिये अपनी सिफारिशें देता है।

उत्तराखण्ड में अब तक तीन राज्य वित्त आयोग का गठन हो चूका है। वर्त्तमान में चौथा वित्त आयोग बना हुआ है, जिसे वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के लिए सिफारिशें देनी हैं।

केंद्र सरकार से आय – पंचायतों को केन्द्र सरकार से भी विभिन्न आय प्राप्त होती है। केन्द्र सरकार से पंचायतों के मिलने वाली राशि भी राज्य सरकार के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जातीी है। पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा योजना के संचालन एवं विकास के लिए मिलने वाली राशिः

केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि : केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को योजना के संचालन एवं विकास के लिए मिलने वाली राशि – जैसे मनरेगा

केन्द्रीय वित्त आयोगः

केन्द्रीय वित्त्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरित करने के लिये अलग से राशि उपलब्ध करवाती है। देश में अब तक 14 केन्द्रीय वित्त आयोग बनाये जा चुके हैं तथा वर्तमान में 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं।

चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोगः

वर्तमान में चौदहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–20 की अवधि के लिये केन्द्र सरकार के सामने सुझाव एवं सिफारिशें रखी है, जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। इसके अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015–20 तक कुल 2,87,436 करोड़ रू. का आवंटन स्थानिय निकायों के लिये किया जाना है। इस कुल आवंटन में से पंचायतों को लगभग 2,00,292 करोड़ रू. का आवंटन किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस कुल आवंटन में से लगभग 87,143 करोड़ रू. का आवंटन किया जायेगा।

चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल अनुदान का 90 प्रतिशत बुनियादी अनुदान तथा 10 प्रतिशत अनुदान कार्य प्रगति के आधार पर दिए जाने का सुझाव दिया है। कार्य प्रगति अनुदान पंचायतों द्वारा उनके खाते (अकाउंट) के सीएजी के निर्देशानुसार सही रख रखाव पर ही दिया जायेगा। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा मूल अनुदान तथा कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही देने का प्रावधान किया गया है।

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य को 5 वर्ष (2015–16 से 2019–20) के लिये प्रस्तावित राशि (करोड़ रु. में)

मद का नाम	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल राशि
मूल अनुदान	203.36	281.45	325.19	376.19	508.31	1694.42
परफोरमेंस ग्राण्ट		36.92	41.78	47.45	62.13	188.27
योग	203.36	318.37	366.97	423.64	570.44	1882.69

प्रति ग्राम पंचायत औसत मूल अनुदानः

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल 7982 ग्राम पंचायतें हैं। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के लिये प्रति वर्ष प्रस्तावित मूल अनुदान राशि एवं राज्य की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर औसत निकालने पर देखा जा सकता है कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष (2015–16) करीब 2.54 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया है जो बढ़ते–बढ़ते पांचवे वर्ष (2019–20) में लगभग 6. 36 लाख रु. हो जाएगी। वर्षवार प्रति पंचायत औसत मूल अनुदान राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु औसत मूल अनुदान राशि (लाख रु. में)

मद का नाम	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल राशि
मूल अनुदान	2.54	3.52	4.07	4.71	6.36	21.22

चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों के लिये दिया गया अनुदान केवल ग्राम पंचायतों के लिये ही है। चौदहवें वित्त आयोग की राशि क्षेत्रीय पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के लिये नहीं है।

बुनियादी अनुदान की राशि को बुनियादी सेवाओं पर खर्च किया जा सकता है। जैसे – जलापूर्ति, सफाई, शौच व्यस्थाएं, नालियां तथा ठोस कचरा निस्तारण, वर्षा जल बहाव, सामुदायिक संपत्तियों का रख रखाव, सड़क, पैदल पथ, रास्ते में प्रकाश, शमशान तथा कब्रिस्तान का रख रखाव, तथा कानून के तहत पंचायत को मिला कोई अन्य कार्य। चौदहवें वित्त आयोग ने कहा है कि इस अनुदान में से अधिकतर राशि सेवाओं तथा गैर निर्माण कार्यों पर खर्च होनी चाहिए।

सोसायटीज से राशि

केंद्र तथा राज्य स्तर पर बहुत सी योजना एवं कार्यक्रमों का संचालन सोसायटीज के माध्यम से किया जाता है इन सोसायटीज के माध्यम से भी पंचायतों को कुछ कार्यक्रमों/योजनओं के संचालन हेतु राशि जारी की जाती है जैसे – सर्व शिक्षा अभियान, एड्स कंट्रोल सोसायटी आदि

विदेशी संस्थाओं से आय :

राज्य सरकार के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को बाहरी वित्त पोषित कार्यक्रमों तथा योजनओं के संचालन के लिए मिलने वाली राशि होती है। विदेशी संस्थाओं से कार्यक्रमों तथा योजनओं के संचालन के लिए मिलने वाली राशि प्रायः राज्य को कर्ज या अनुदान के रूप में दी जाती हैं जैसे डी.पी.आई.पी.

पंचायती राज संस्थाओं को उपरोक्त सभी मदों के अतिरिक्त, निम्न मदों से भी राशि आवंटित की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं

पुरस्कार राशि

वह राशि जो पंचायतों को केंद्र एवं राज्य सरकार से उनके उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में दी जाती हैं जैसे – निर्मल ग्राम पुरस्कार

उधार/कर्ज

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 47 के अनुसार ग्राम पंचायतें राज्य सरकार की अनुमति से स्थानिय लोगों रोजगार देने, कुटीर उद्योग चलाने, बागवानी करने के लिये नाबार्ड से कर्ज ले सकती है।

टाईड फण्ड एवं अनटाईड फण्ड

विभिन्न स्रोतों से पचांयतों को होने वाली आय को टाइड तथा अनआइड फण्ड के रूप में बांटा जा सकता है।

टाईड फण्ड

पंचायतों को इस मद में आवंटित वह राशि होती है जिसके खर्चे के लिए पंचायतें प्रतिबंधित होती है। टाईड फण्ड में प्राप्त राशि केवल उसी मद में खर्च की जा सकती जिस मद में खर्च हेतु वह राशि आवंटित की गई है।

अनटाईड फण्ड

पंचायतों को इस मद में आवंटित वह राशि होती है जिसके खर्चे के लिए पंचायतें प्रतिबंधित नहीं होती है। अनटाईड फण्ड में प्राप्त राशि को पंचायतें अपनी समझ एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार खर्च करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। हालांकि इस प्रकार के

फण्ड के लिये भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

पंचायतों के आय के स्रोत

निजी आय

- कर राजस्व
- गैर कर राजस्व

राज्य सरकार से आय

- राज्य से आयोजना राशि
- राज्य वित्त आयोग से राशि
- राज्य सरकार से अनुदान

केन्द्र सरकार से आय

- केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि
- केन्द्रीय वित्त आयोग से राशि

सोसायटीज से राशि

विदेशी संस्थाओं से आय

पुरूस्कार राशि

उधार/कर्ज*

टाईड फण्ड* अनटाईड फण्ड

पंचायत बजट निर्माण के आधारभूत नियम

राज्य में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार किसी पंचायती राज संस्था द्वारा अपनी पंचायत का वार्षिक बजट बनाते समय निम्न लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का ध्यान रखना आवश्यक है।

1. पंचायत के पास पिछले वर्ष की बजट राशि में से कितनी राशि अभी शेष है।
2. उस पंचायत की वर्तमान वर्ष की अनुमानित आय कितनी है। अनुमानित आय का विवरण निम्न तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है।

पंचायत की अनुमानित निजी आय

1. **कर राजस्व से आय** – किसी भी पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर कर लगाकर जो आय प्राप्त की जाती है वह पंचायत की कर राजस्व आय कहलाती है।
   उदाहारण : भूमि कर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान कर इत्यादि।

2. **गैर कर राजस्व से आय** – किसी पंचायत की गैर कर राजस्व से आय से अभिप्राय उस आय से है जो पंचायत अपने क्षेत्र में बिना कर लगाये निम्न स्रोतों से प्राप्त करती है।

   उदाहरण :

   - शुल्क, शास्तियां, मेलों, भूमि–विक्रय इत्यादि
   - राज्य सरकार से अनुदान व सहायता
   - केन्द्र सरकार से सहायता व अनुदान
   - विदेशी अनुदान से संचालित योजनाओं की राशि

3. पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों पर अनुमानित व्यय की राशि शामिल हो।
4. पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों पर संभावित व्यय की राशि भी बजट में जोड़ी जानी चाहिये।
5. केन्द्र या राज्य सरकार से जो राशि उधार ली गयी है, उस उधार तथा उसके ब्याज की राशि को पंचायत का बजट बनाते समय सम्मिलित किया जाना चाहिये।

पंचायत बजट : संरचना एवं प्रक्रिया

पंचायतों के लिये बजट बनाने की प्रक्रिया निम्न संरचना के आधार पर पूर्ण की जाती है, इस प्रक्रिया में पंचायतों के लिये बजट निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत से प्रारम्भ होकर पंचायती राज विभाग पर संपन्न होता है।

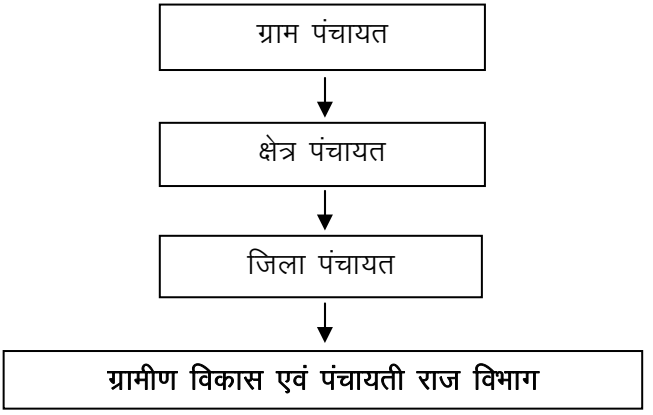

ग्राम सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के लिये बजट अनुमान प्रारूप ग (संलग्नक –1) में तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायत के लिये बजट अनुमान प्रपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम सचिव की होती है। ग्राम पंचायत का बजट अनुमान तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है तथा ग्राम सभा उसे बहुमत के आधार पर अनुमोदित करती है। ग्राम पंचायत का बजट पारित होने के 5 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत में पारित बजट को सचिव द्वारा उस क्षेत्र पंचायत को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत बजट को मूल रूप में या उसमें अपेक्षित संशोधन कर निश्चित तारीख तक ग्राम पंचायत को लौटाएगी। यदि क्षेत्र पंचायत 15 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत के बजट को अनुमोदित नहीं करती है तो ग्राम पंचायत का बजट अंतिम रूप से पारित समझा जायेगा।

क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों से प्राप्त बजट अनुमानों को संकलित करती है तथा उसमें पंचायत के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को जोड़ते हुये पंचायत का बजट अनुमान तैयार करती है। पंचायत का बजट अनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की

होती है। पंचायत का बजट अनुमान पंचायत की साधारण सभा में बहुमत से अनुमोदित होता है तथा जिला परिषद को भेजा जाता है।

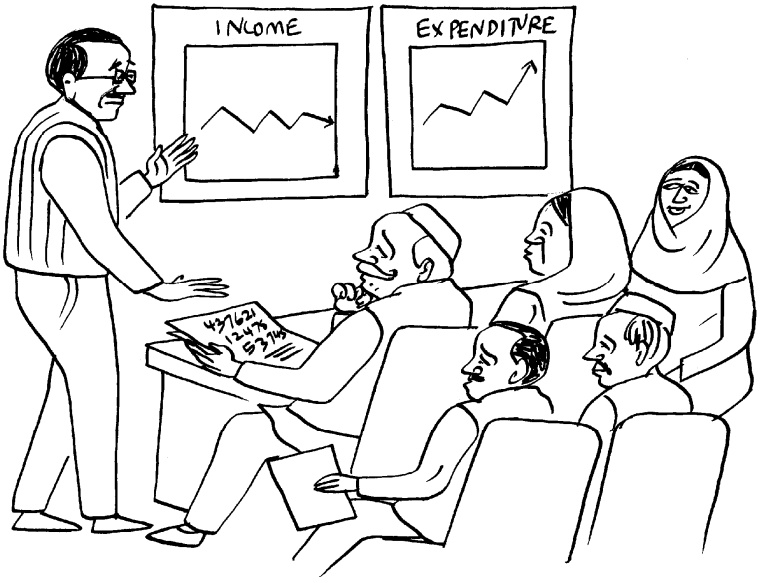

क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त बजट प्रपत्रों को संकलित करते हुए तथा उसमें जिला पंचायतों के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को जोड़ते हुये जिला पंचायतों का बजट अनुमान तैयार किया जाता है। जिला पंचायतों के लिये बजट अनुमान बनाने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होती है। जिला पंचायतों का बजट अनुमान, साधारण सभा द्वारा बहुमत से अनुमोदित होता है। जिला पंचायतों से अनुमोदित बजट अनुमान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जाता है।

अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट

जब कोई पंचायती राज संस्था किसी ऐसे कार्य को करना चाहे जो स्वीकृत बजट में शामिल न हो या उस पर स्वीकृत बजट राशि से अधिक का व्यय किया जाना हो, तो उस अतिरिक्त राशि को प्राप्त करने या गैर बजटीय कार्य को करने के लिये पंचायत द्वारा अनुपूरक बजट या पुनरीक्षित बजट तैयार किया जाता है। अनुपूरक बजट भी वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अनुसार ही तैयार किया जाता है। वार्षिक बजट

के समान ही पुनरीक्षिति बजट की स्वीकृति की प्रक्रिया होती है तथा स्वीकृति के पश्चात ही उस विषय पर धन व्यय किया जा सकता है।

सरकार द्वारा बजट के लिये निर्धारित शीर्ष या मद

केन्द्र सरकार के महालेखा नियंत्रक (सी.ए.जी.) द्वारा बजट लेखा को सरल भाषा में व्यवस्थित करने के लिये सभी मांगों को कोड नम्बर (शीर्ष) में बांटा हुआ है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी बजट बनाते समय इन कोड नम्बर (शीर्ष) का समुचित ध्यान रखना होता है। पचांयतों को बजट बनाते समय अपने आय एवं व्यय की राशि को इन शीर्षों के अंतर्गत दिखाना आवश्यक होता है। इन शीर्षों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

मुख्य शीर्ष

यह बजट शीर्ष 4 अंकों का होता है। यह सभी पंचायत, राज्य व केन्द्रीय बजट में एक समान होता है। मुख्य शीर्ष यह दर्शाता है कि राशि किस विषय या मद विशेष में जारी की गई है। मुख्य शीर्ष में प्रारंभिक अंक निम्न प्रकार के मदों को दर्शाता है।

0–1 से प्रारम्भ	राजस्व प्राप्तियां
2–3 से प्रारम्भ	राजस्व व्यय
4–5 से प्रारम्भ	पूंजीगत व्यय
6–7 से प्रारम्भ	लोक ऋण, उधार एवं अग्रिम
8 से प्रारम्भ	राजस्व लोक खाता एवं आकस्मिक निधि

उदाहरण :

2202 – सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय, 2210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में राजस्व व्यय। 4202 – सामान्य शिक्षा में पूंजीगत व्यय, 4210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में पूंजीगत व्यय।

उप मुख्य शीर्ष

यह 2 अंकों का होता है जो मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आने वाले उप विभागों/उप कार्य को दर्शाता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा में उपमुख्य शीर्ष 01–प्रारंभिक शिक्षा तथा 02–माध्यमिक शिक्षा को दर्शाता है।

लघु शीर्ष

यह 3 अंकों का होता है। मुख्य शीर्ष या उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत किसी कार्य विशेष से संबंधित कार्यक्रमों, मुख्य गतिविधियों, एवं स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों को दर्शाता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा, 001–प्रशासन एवं निदेशन, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 196–जिला परिषद, 197–ब्लॉक पंचायत तथा 198 ग्राम पंचायतों को दर्शाता है।

उप लघु शीर्ष

यह 2 अंकों का होता है। लघु शीर्ष के किसी विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत योजना विशेष हेतु जारी राशि का विवरण इसमें प्रदर्शित होता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण को दर्शाता है।

समूह शीर्ष (ग्रुप हैड)

यह भी 2 अंकों का होता है तथा यह उप शीर्ष के अंतर्गत चलाई जा रही किसी योजना की एक गतिविधि का विवरण दर्शाता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण, 01–वेतन, 08–कार्यालय व्यय को दर्शाता है।

विवरण शीर्ष (डिटेल हैड)

यह 2 अंकों का होता है। यह खर्च की प्रकृति को दर्शाता है। यह खर्च विशेष जैसे क्या सामान खरीदा, संवेतन, यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि को दर्शाता है।

इसे निम्न सारणी में दिए गए बजट शीर्षों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	विनियोग की प्राथमिक इकाई
2202–सामान्य शिक्षा	01–प्रारंभिक शिक्षा	101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय	04–बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण	01–वेतन, 08–कार्यालय व्यय	

पंचायत : लेखा संधारण, मूल्यांकन तथा लेखा परिक्षण

पंचायत लेखाः

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 40 में पंचायतों के लेखा रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था को निजी आय, राज्य, केन्द्र तथा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त आय तथा व्यय का विवरण रखना आवश्यक होता है।

पंचायतें लेखे में प्रायः वास्तविक आय तथा व्यय का मदवार विवरण रखती हैं, जिसमें पंचायतों को प्रत्येक कार्य पर प्राप्त राशि तथा उस पर व्यय का विवरण दिया जाता है जिसे पंचायतों का लेखा संधारण कहते हैं।

बैंक खाताः

ग्राम पचांयतों का खाता पंचायत के निकट के राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस में होता है, लेकिन कुछ विशेष योजनाओं के त्वरित संचालन के लिए उन योजनाओं का खाता क्षेत्र पंचायत व जिला परिषद स्तर पर बैंक में भी रखा जा सकता है। यह राशि हस्तांतरण की प्रकिया को सहज बनाने तथा संचालित योजना के नियमानुसार ही रखा जाता है। उदाहरण : नरेगा

संयुक्त हस्ताक्षरः

ग्राम पचांयत से कोई भी राशि निकालने के लिये हर चैक पर ग्राम प्रधान व सचिव दोनों संयुक्त हस्ताक्षर करते हैं।

धन का आहरणः

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाएं क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत व्यक्तिक रूप से नकद व चेक के रूप में भुगतान कर सकती हैं।

राजस्व रजिस्टर:

तीनों स्तरों की पंचायतें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद अपनी राजस्व आय को दर्शाने हेतु एक अलग रजिस्टर संधारित करती हैं। जिसमें उस पंचायत को अपने क्षेत्र में राजस्व से प्राप्त आय का विवरण रखा जाता है तथा प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उस रजिस्टर को हस्ताक्षरित करके प्रमाणित किया जाता है।

रोकड़ बही:

प्रत्येक पंचायती राज संस्था के लिए धन की प्राप्ति व व्यय का अभिलेख रखने के लिये प्रारूप 6 (संलग्नक–2) में रोकड़ बही रखे जाने का प्रावधान है। रोकड़ बही में सभी प्राप्तियों तथा खर्चों का दिनांकवार, योजनावार एवं मदवार विवरण अंकित किया जाता है। प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष हर तीन माह के अंत में इस रोकड़ बही का वास्तविक मूल्यांकन करता है तथा रोकड़ बही को प्रति हस्ताक्षरित करके प्रमाणित करता है।

लेखों का मिलान:

ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक तीन माह के अंत में बैंक/पोस्ट ऑफिस से मासिक आय व्यय का मिलान करवाये। क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद के मामले में लेखाधिकारी प्रत्येक माह के अंत में कोषागार/उपकोषागार से खातों का मिलान करवाता है।

पंचायत में लेखा परिक्षण (ऑडिट) :

वित्तीय अंकेक्षण: संविधान के 73वें संशोधन के अनुच्छेद 243ञ के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के आय तथा व्यय के औचित्य की परीक्षा (ऑडिट) करने के लिए सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष वित्तीय जांच (वित्तीय अंकेक्षण) करवाना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 45 के अनुसार ग्राम पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा (ऑडिट) प्रतिवर्ष स्थानिय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करे, द्वारा किया जायेगा।

सम्परीक्षा की रिर्पोट प्राप्त होने पर पंचायत सम्परीक्षा में पाई गई कमीयों का निराकरण करेगी तथा तीन महीने के भितर इसकी कारवाई रिर्पोट स्थानिय निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करे, को भेजेगी।

सोशल ऑडिट (समाजिक सम्परीक्षा): उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 45 के अनुसार ग्राम पंचायत में संचालित सभी योजनाओं की का सोशल ऑडिट (समाजिक सम्परीक्षा) भी कराया जायेगा।

त्रैमासिक मूल्यांकन: उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 प्रत्येक पंचायती राज संस्था बजट में व्यय राशि का त्रैमासिक आधार पर मूल्यांकन करती है इस मूल्यांकन रिर्पोट के आधार पर ही पंचायतों की भौतिक व वित्तीय उपलब्धियों का आंकलन भी किया जाता है।

संदर्भ

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016

उ.प्र. पंचायतीराज नियमावली, 1947

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007

बजट मैन्युअल, उत्तराखण्ड सरकार

संलग्नक–1

यू. पी. पंचायत राज नियमावली 1947

रूप – पत्र ''ग''

ग्राम सभा का वार्षिक आय–वययक

(वर्ष 20.....20.....)

ग्राम सभा ....., न्याय पंचायत सर्किल....., खण्ड.....,जिला.....

आय.....

क्रमांक विवरण	आय का साधन	गत वर्ष की वास्तविक आय 20..... 20..... रू. पै.	वर्तमान वर्ष का अनुमान 20..... 20..... रू. पै.	आलोच्य वर्ष का अनुमान रू. पै.	
1	2	3	4	5	6

1–गत शेष

2– अनुदानों से (अ) शासन से (ब) जिला पंचायत से (स) क्षेत्र पंचायत से (द) अन्य (च) योग

3– नकद चन्दा व दान से

4– पंचायत कर से

5– शुल्क व उपशुल्क से

6– (क) ग्राम सभाओं को आय देने वाली सम्पत्तियों से (1) कृषि पर उठाई गई भूमि से (2) दुकान व मकान के किराये से (3) तहबाजारी से (4) पड़ाव की भूमि व अन्य भूमि से जिस पर खेती न होती हो (5) पोखरों व तालाबों में सिंघाड़ों से (6) पोखरों व तालाबों में, नदी–नालों मछलियों से (7) सिंचाई से (8) रेत, बाजार मेला से (9) बगीचों, पेड़, वन, चारागाहों व घास से (10) हाट, बाजार मेला से (11) पशुओं के मेलों में रजिस्ट्री से (12) घाटों से (13) बूचड़ खानों से (14) कांजी हाउस से (15) गोबर मलमूत्र और कुड़ा करकट व कम्पोस्ट से (16) मृतक पशुओं की हडड़ी व खालों से (17) सामूहिक चल सम्पत्ति जैसे बर्तन, दरी, लालटेन, शामियाना, कृषि इत्यादि किराये पर देने से

(ख) उत्पादक परिसम्पदाके सृजन एवं विकास के लिये प्राप्त ऋण के उपयोग से

(ग) सम्पत्ति की बिक्री से, (1) चल (2) अचल, (3) योग

(घ) अन्य

(ड.) योग (क, ख, ग तथा घ)

7– न्याय पंचायत से

8– न्यायालयों के आदेश से

9– वादों के समझौतों से

10– ब्याज से

12– ठेकों से (शुद्ध आय)

13– कृषि, व्यवसाय, व्यापार या उद्योगों से (शुद्ध आय)

14– ऋण से (अ) उत्पादक परिसम्पदा के विकास तथा सृजन हेतु (ब) अन्य (स) योग

15– अनामतें

16– उत्सवों व कार्य–क्रमों से जो भी आय किसी मद में सम्मिलित न हो

17– पुरस्कार

18– आय

19– वर्ष की आय का जोड़ (1 से 18 तक)

20– महायोग (गत शेष का वर्ष की आय में मिलाकर)

व्यय–

क्रमांक	व्यय की मद	गत वर्ष का वास्तविक व्यय 20.....20..... रू. पै.	वर्तमान वर्ष का अनुमान 20.....20..... रू. पै.	आलोच्य वर्ष का अनुमान 20.....20..... रू. पै.	विवरण
1	2	3	4	5	6

1– प्रकाशन पर – (क) वेतन (ख) भत्ते (ग) अंकक्षेण शुल्क (आडिट फीस) (घ) कर वसूली पर (ड.) कार्यालय सम्बन्धी प्रासंगिक व्यय– (1) आवर्ती (2) अनावर्ती (3) योग (च) योग

2– सम्पत्ति के क्रय व प्राप्ति पर – (अ) अचल सम्पत्ति (ब) चल सम्पत्ति

3– सम्पत्ति की सुरक्षा पर – (अ) वादों पर (ब) अन्य (स) योग

4– कल्याण कार्यों के निर्माण एवं मरम्मत पर – (1) पानी पीने की योजनाओं परर (2) नाली, खड़ंजे, व गलियों का सुधार व प्रकाश स्तम्भ (3) जनमार्ग (सड़क, पुल और पुलिया), (4) स्कूल (5) पंचायत घर एवं अन्य सामुदायिक भवन (6) खेलकूद के मैदान (7) बाल क्रीड़ा केन्द्र (8) अन्य (9) योग

5– सामुदायिक भूमि एवं आय देने वाली सम्पत्ति के विकास अथवा निर्माण पर–

(1) बगीचे व पेड़ व वन लगाने (2) सिंचाई की योजनाएं (3) भूमि संरक्षण की योजनायें (4) दुकानें, मकान व गोदाम (5) हाट, बाजार व मेले में जगह का विकास (6) अन्य (7) योग

6– कार्यक्रम (भूमि व भवन को छोड़कर)– (1) दवा का बक्स एवं चिकित्सा (2) शिक्षा (3) समाज शिक्षा– (क) सामुदायिक रेडियो (ख) पुस्तकालय एवं वाचनालय (ग) प्रौढ़ – शिक्षा (घ) खेलकूद (ड.) मनोरंजन (च) उत्सव (छ) योग

7– ग्राम की रक्षा व सेवा व्यवस्था और गांव का संगठन – (1) प्रा0 रक्षक दल (2) सुरक्षा समिति (3) महिला मण्डल (4) युवक दल (5) अन्य (6) योग

8– (1) उत्पादक परिसम्पदा के विकास एवं सृजन पर (2) किस्तों के भुगतान पर (3) ब्याज पर (4) योग (1,2 तथा 3)

9– ऋण का भुगतान

10– जमानतों की वापसी

11– न्याय पंचायत

12– चन्दा, दान, पुरस्कार

13– ठेकों के कार्य पर (शुद्ध हानि)

14–कृषि, व्यवसाय व उद्योग – धन्धों पर

15– न्यायालयों के आदेशानुसार भुगतान

16– अधिकृत अधिकारियों के आदेशानुसार भुगतान

17– सामुदायिक स्नान–गृहों, शौचालयों व मूत्रालयों की सफाई इत्यादि पर

18– अन्य (जो किसी मद में न हो)।

19– योग, आय, व्यय, अवशेष धनराशि का ब्यौरा– (क) नकद (ख) डाकखाने में (ग) व्यक्तिगत लेखों में (घ) अन्य (ड.) योग

संलग्नक–2

गांव फंड/ न्याय पंचायत फंड हिसाब

(जनरल कैशबुक)

ग्राम सभा..... न्याय पंचायत का नाम .....डाकखाना ..... ब्लाक का नाम..... तहसील..... जिला.....कब से ..... कब तक

मैं प्रमाणित करता हूं कि कैशबुक में..... पृष्ठ हैं

ह. प्रधान/सरपंच, ह. पंचायत मंत्री, ह. पंचायत निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी पंचायत

रूप–पत्र संख्या 6

आय	व्यय

1. दिनांक
2. रसीद संख्या
3. किससे और किस सम्बन्ध में
4. खाता पृष्ठ संख्या
5. धनराशि रू. पै.
6. मासिक योग
7. दिनांक
8. वाउचर
9. किससे और किस सम्बन्ध में व्यौरे सहित
10. खाता पृष्ठ संख्या
11. धनराशि रू.पै.
12. मासिक योग

टिप्पणी– इस हिसाब को प्रत्येक मास के अन्त में बन्द कर देना चाहिए और बाकी निकाल देनी चाहिए और उस पर प्रधान/सरपंच के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कोई चन्दा, दान या सरकारी ग्रांट किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त हुआ हो तो उसका अलग खाता डालना चाहिये और उस पर खाता संख्या डाल देनी चाहिये।

विधायी परिवर्तन– यह रूप–पत्र उत्तरप्रदेश साधारण गजट, भाग–3–घ, दिनांक 24–2–62 के द्वारा संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन से पहले रूप – पत्र 6 गांव फंड की कैशबुक के लिए था और रूप– पत्र 6 –क न्याय पंचायत फंड की कैशबुक के लिए था अब दोनों का एक ही रूप–पत्र कर दिया गया है और रूप–पत्र 6–क रद्द कर दिया गया है।